

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-20/2016-

64 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर /रोहतास/कैमूर (भमुआ)
/गया/जहानाबाद /अरवल/नवादा/औरंगाबाद / सारण /सिवान/ गोपालगंज/
मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण /प० चम्पारण/ सीतामढ़ी / शिवहर /वैशाली/ दरभंगा
/मधुबनी /समस्तीपुर /बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई/ भागलपुर/
बाँका/सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/ अररिया /कटिहार /
खगड़िया।

विषय :

वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य मंत्री तीव्र विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में 4206.50 लाख रु० (बेयालीस करोड़ छः लाख पचास हजार रु०) की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 84.130 लाख रु० (चौरासी लाख तेरह हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹84,13,000 (चौरासी लाख तेरह हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3226 दिनांक-22.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य मंत्री तीव्र विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में 4206.50 लाख रु० (बेयालीस करोड़ छः लाख पचास हजार रु०) की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 84.130 लाख रु० (चौरासी लाख तेरह हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹84,13,000 (चौरासी लाख तेरह हजार रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

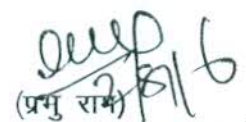
2. उपरोक्त ₹84,13,000 (चौरासी लाख तेरह हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम-विपत्र कोड-P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5015 विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

64 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

64 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (शष्प) प्रक्षेत्र/निदेशक बिहार प्रमाणन एजेंसी बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्प) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण कोषांग कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी बीज ग्राम योजना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/ प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

64 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

मुख्य मंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-3226 दिनांक-22.07.2016 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007960140

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	2,97,000	2,97,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	2,22,000	2,22,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	2,05,000	2,05,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	1,72,000	1,72,000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	2,13,000	2,13,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भुवनेश्वर।	2,02,000	2,02,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	2,68,000	2,68,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	80,000	80,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	39,000	39,000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	1,67,000	1,67,000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	3,09,000	3,09,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	4,70,000	4,70,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	2,66,000	2,66,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	3,29,000	3,29,000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	6,50,000	6,50,000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	2,30,000	2,30,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	1,88,000	1,88,000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	3,26,000	3,26,000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	1,21,000	1,21,000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	3,12,000	3,12,000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	2,70,000	2,70,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	3,04,000	3,04,000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	2,74,000	2,74,000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	2,33,000	2,33,000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	77,000	77,000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	93,000	93,000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	42,000	42,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	1,71,000	1,71,000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	1,97,000	1,97,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	2,21,000	2,21,000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	1,72,000	1,72,000
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	2,41,000	2,41,000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	1,95,000	1,95,000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	1,90,000	1,90,000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	1,25,000	1,25,000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	2,20,000	2,20,000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	1,84,000	1,84,000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	1,38,000	1,38,000
	कुल	84,13,000	84,13,000

कुल- (चौरासी लाख तेरह हजार रु०) मात्र।

(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।